सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 10, बुधवार, *शाके* 1947- अप्रेल 30, 2025 *Vaisakha 10, Wednesday, Saka 1947- April 30, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 25, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम2013 **धारा** 4 (1)

Rajkaj 14939595 :- राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 धारा के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार सीकर-लौहारु सेकषन पर किमी. 302/5.6ए झुन्झुनूं (राजस्थान) पर लेवल क्रॉसिंग एल-266 पर दो लेन रेलवे ओवर ब्रिज **(ROB)** के निर्माण के लिए संयुक्त व्यवहार्यता सर्वेक्षण जिला झुन्झुनूं (राजस्थान) में विकसित किये जाने के प्रयोजन से जिला झुंझुनू में निम्नानुसार प्रभावित गांवों मे भूमि अर्जन प्रस्तावित हैः-

क.स.	जिला	तहसील	गॉव का नाम	आवाप्त क्षेत्रफल हैक्ट.)
1.	झुंझुनू	झुंझुनू	झुंझुनू	1.00

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारणहेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा **"झुंझुनू इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड" हाउस नंबर- 227/3 चित्रकूट वैशाली नगर, जिला- जयपुर 302021 (राजस्थान)** एजेंसी का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार किया जायेगा। सामाजिक सामाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूपरिपोर्टकी प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी।ततपश्चातप्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।

5-सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा

6-सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रियाकोइसअधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झुंझुनू
जिला झुंझुनू राजस्थान
फोन नंबर 01592-232345
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी
झुंझुनू इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर
प्रतिनिधि याकूब अली मोबाइल नम्बर –91400-55625
हाउस नंबर- 227/3 चित्रकूट वैशाली नगर,
जिला- जयपुर 302021(राजस्थान)
ई-मेल:-Jhunjhunu786@gmail.com

संयुक्त सचिव, (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।